सुगन चन्द बनाम भंवर लाल

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2022 / 186

10.10.2022	प्रार्थना पत्र पेश हुआ । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.07.2022 को बून्दी कैम्प में सुनवाई हेतु जैरकार थी । उक्त पत्रावली रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता महोदय की मृत्यु हो जाने से अन्य अधिवक्ता का वकालतनामा पेश होने हेतु नियत थी । दिनांक 28.07.2022 को अपीलान्टगण के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे किन्तु अन्य न्यायालय में आवाज हो जाने से पैरवी हेतु वहॉ चले गये जहॉ पर अधिक समय लग जाने से कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु समय पर उपस्थित नहीं हुए थे जिसके कारण उनकी अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई । अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता उक्त कारणवश ही माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । न्यायहित में उक्त अपील को नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे । रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को यदि स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तो उन्हें कोई आपित्त नहीं है । हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । दिनांक 28.07.2022 को खारिज हुआ तथा एक सप्ताह के अन्दर ही दिनांक 02.08.2022 को ही प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रस्तुत कर दिया । अपीलान्ट ने दौराने बहस स्वयं के एवं अपने अधिवक्ता के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के जो कारण बताएं हैं उनमें मुख्य रूप से अपने अधिवक्ता के अन्य न्यायालय में पैरवी हेतु चले जाने का कारण दर्शित किया है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने भी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने में आपनी अनापत्ति व्यक्त की है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं । अपील पुनः नम्बर पर ली जावे । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिटर कर दाखिल दफ्तर होकर फैसल शुमार हो । निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मनोज कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा